न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144/2011

1. भंवरी पुत्री बंशी पत्नि मोहन लाल जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल निवासी गांधीधाम (गुजरात)

प्रार्थीयां

बनाम

1. राम सिंह वल्द बंशी कौम अहीर
2. रामपाल पुत्र बिरदा कौम अहीर

सर्व निवासी सादूलपुरा तहसील सांभर जिला जयपुर हाल निवासी डींडवाड़ा रोड़, पाटन तहसील किशनगढ़

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 17-1-20

उपस्थितः श्री गणेश प्रजापत प्रार्थीया अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा जरिये वकील श्री गणेश प्रजापत के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीया के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 518 रकबा 00–06–00, ख0नं0 519/655 रकबा 01–15–00, ख0नं0 519 रकबा 30–00–00 कुल किता 3 कुल रकबा 32–01–00 भूमि ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा था जिसमें से अप्रार्थी सं0 1 द्वारा 1/30 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 2 को बिना खातेदारी विभाजन के बैचान कर दिया है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से में आयी आराजी को काफी पूंजी खर्च करके एवं श्रम करके उपजाऊ एवं काश्त योग्य बनाई है। अप्रार्थी सं0 2 ने मात्र 01–00–00 भूमि षड़यंत्र रचकर अप्रार्थी सं0 1 से क्रय कर ली है तथा खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

विभाजन नियमानुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार नहीं हुआ है उसके बाद भी अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में बिना भू–रूपान्तरण किये काबिल काश्त भूमि में अवैध निर्माण करने पर आमादा है। प्रार्थीया जब अपने गांव दिनांक 14.07.2011 को आयी और उसके बाद खेत पर वर्षात होने की वजह से फसल बिजने व देखभाल करने गई तब अप्रार्थी सं0 2 खेत में खड़ा था और प्रार्थीया द्वारा पूछने पर गाली गलोच व गलत व्यवहार पर आमादा हो गया तब आस पड़ौस के व्यक्ति वहा पर जमा हो गये और पूरी जानकारी प्रार्थीया को प्राप्त हुई इसलिए कारण वाद दिनांक 14.07.2011 को उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन जारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थीया अपने खातेदारी एवं कब्जा काश्त की हिस्सा आराजी पर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 बिना विधिक विभाजन हुए प्रार्थीया को उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौके पर काबिज अनुसार भूमि से जबरन बेदखल नहीं कर सकते है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा उनके नौकर, चाकर, एजेन्ट, अभिकर्ता आदि को प्रार्थीया को अपने हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि से बेदखल नहीं करने, कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने एवं खातेदारी विभाजन होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं बैचान नहीं करने हेतु तथा खातेदारी विभाजन से पूर्व तथा बिना भू–रूपान्तरण के कोई भी कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजुद भी उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 28.07.2017 को उनका जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 3 पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा दिनांक 28.10.2013 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थी सं0 1 से उसके 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया है। यह सही है कि वाद वर्णित भूमि का विभाजन नहीं हुआ हुआ है परन्तु प्रार्थीया व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज व काश्त कर रहे है एवं वाद वर्णित भूमि पूर्व से पूर्ण रूपेण काश्त योग्य ही थी। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से में से अप्रार्थी सं0 2 को 1/5 हिस्सा यानि कुल भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

में से 1/30 हिस्से का बैचान किया है जिस पर वे काबिज है। जवाबकर्ता ने न तो प्रार्थीया के हिस्से में कभी किसी प्रकार की दखलन्दाजी की तथा न ही जमीन पर अतिक्रमण की धमकी दी है। प्रार्थीया अपने हिस्से पर काबिज है व वर्तमान में उसकी मौके पर फसल खड़ी है। प्रार्थीया ने जों दिनांक 14.07.2011 की बात लिखि है वह गलत है। प्रार्थीया ग्राम पाटन में रहती ही नहीं है वरन् वह अपने पति के साथ पूना में ही निवास कर रही है। प्रार्थीया दिनांक 14.07.2011 को न तो खेत पर आयी तथा न ही उनके मध्य कोई बात हुई। प्रार्थीया ने गाली गलौच व गलत व्यवहार की जो बात अंकित की है वह सरासर गलत है क्योंकि मौके पर न तो आस-पड़ौस के व्यक्ति जमा हुए तथा न ही किसी प्रकार की वहा बात हुई सब मनगढ़त तरीके से यह आरोप लगाया है। अप्रार्थी सं0 2 विवादित आराजी का सहखातेदार होने से उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है एवं अगर मौके पर कब्जे के अनुसार बंटवारा कर दिया जावे तो अप्रार्थी सं0 2 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थीया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी सं0 1 का 1/2 हिस्सा था जिसमें से अप्रार्थी सं0 1 द्वारा 1/30 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं0 2 को बिना खातेदारी विभाजन के बैचान कर दिया है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से में आयी आराजी को काफी पूंजी खर्च करके एवं श्रम करके उपजाऊ एवं काश्त योग्य बनाई है। प्रार्थीया अपने खातेदारी एवं कब्जा काश्त की हिस्सा आराजी पर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 बिना विधिक विभाजन हुए प्रार्थीया को उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौके पर काबिज अनुसार भूमि से जबरन बेदखल नहीं कर सकते है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि से बेदखल नहीं करने, कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने एवं खातेदारी विभाजन होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं बैचान नहीं करने हेतु तथा खातेदारी विभाजन से पूर्व तथा बिना भू-रूपान्तरण के कोई भी कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ग्राम पाटन स्थित वादग्रस्त भूमि ख0नं0 518 रकबा 00-06-00 किस्म गै0मु0

उपखण्ड अधिकारी
(राज0)

Scanned by CamScanner

चाह, ख0नं0 519/655 रकबा 01–15–00 किस्म गै0मु0 पाल में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 1 रामसिंह वल्द बंशी कौम अहीर का 1/2 हिस्सा एवं ख0नं0 519 रकबा 30–00–00 भूमि जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 का 7/15 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 2 रामपाल पुत्र बिरदा का 1/30 हिस्सा दर्ज है। पृथक दृष्टया प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की 1/2 हिस्से की सह खातेदार है, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीया के निहित 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाज नहीं करने एवं उक्त निहित हिस्से तक बैचान नहीं करने तथा अविभाजित भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य, निर्माण आदि नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17-1-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.13 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: